

सं.ए.48013/1/2018-ई.॥-ईएस
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

119-एफ, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 29 मार्च, 2022

सेवा में,

सुश्री अंजू गौर,
एफ 11, वायरलेस कॉलोनी,
पीएनबी के सामने, महानगर, लखनऊ,
लखनऊ-226010.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन के संबंध में।

महोदय,

मुझे आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 02.03.2022 के आपके आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या डीओईएस/आर/टी/22/00014 का संदर्भ लेना है। जहां तक इस निदेशालय का संबंध है, मदवार सूचना इस प्रकार है:-

प्रश्न संख्या	उत्तर
(1 एवं 2)	इन मर्कों के अन्तर्गत मांगी गई सूचना इस निदेशालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।
(4 एवं 13)	निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद की पहचान निःशक्तजनों का अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 33 (ii) और धारा 34 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है।

3. सूचना के विरुद्ध, प्रथम अपील, यदि कोई हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री पी. संगीत कुमार, सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कमरा संख्या 445-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली (फोन नंबर: 011-23382236, ई-मेल: p.sangeeth@gov.in) को उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,

(डॉ. रमेश कुमार यादव)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सीपीआईओ

प्रति प्रेषित:

- (1) श्री एस.वी. सिंह, सीपीआईओ और एसएसओ, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कमरा नंबर 341, कृषि भवन, नई दिल्ली।